राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2008/2015/बीकानेर

मैसर्स एम.आई.आयरन इण्डस्ट्रीज,
प्रताप बस्ती, बीकानेर. .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त,
वार्ड–द्वितीय, वृत्त–अ, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

अनुपस्थित. .....अपीलार्थी की ओर से
श्री रामकिशोर खदाव, उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 05.11.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 208/आरवैट/बीकानेर/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 17.08.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत्त–ए, बीकानेर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 68(3) के तहत् पारित आदेश दिनांक 20.05.2014 द्वारा प्रशमन राशि रुपये 27,800/– को यथावत् रखा गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी–तृतीय, वृत्त–ए, बीकानेर (जिसे आगे **"जांच अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 20.05.2014 को वाहन संख्या आर.जे.–07/जीबी–6202 को रोककर चैक किया गया। जांच अधिकारी द्वारा मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी ने परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये। प्रस्तुत दस्तावेजों में घोषित माल व भौतिक सत्यापन में माल भिन्न तथा अधिक होने से जांच अधिकारी ने अभियोग बनाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित् कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन कर अपीलार्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए परिवहनित माल के घोषित माल से भिन्न एवं अधिक होने को स्वीकार करते हुए प्रकरण का निस्तारण उसी दिन प्रशमन रीति से करने का निवेदन किया। कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 68(3)(ए) के तहत् 14 प्रतिशत की दर से वैट राशि रूपये 9,980/– एवं 25 प्रतिशत की दर से प्रशमन राशि रूपये 17,820 कुल मांग राशि रूपये 27,800/– का आरोपण करते हुए कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.05.2014 पारित कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर

निरन्तर.....2

अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 17.08.2015 द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार कर दी। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

3. विभागीय प्रतिनिधि की एकपक्षीय बहस सुनी गई एवं अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

4. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने परिवहनित माल के घोषित माल से भिन्न एवं अधिक होने को स्वीकार करते हुए प्रकरण का निस्तारण उसी दिन प्रशमन रीति से करने का निवेदन किया। उन्होंने कहा कि अपीलार्थी द्वारा अपराध स्वीकार कर लिये जाने के पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी स्वविवेक से कर निर्धारण आदेश पारित करने का अधिकार होता है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की एस.बी. सिविल (एस.टी.) रिविजन पिटीशन संख्या 102/2008 मैसर्स राजेन्द्र इलेक्ट्रीकल्स बनाम एसीटीओ निर्णय दिनांक 12.08.2009** को उद्धरित करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. विभागीय प्रतिनिधि की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया, एवं प्रस्तुत रिकार्ड का अध्ययन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा परिवहन किया जा रहा माल, उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में घोषित माल से भिन्न तथा अधिक था। इस पर फर्म प्रतिनिधि एवं दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में श्री शाहिद ने स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के लिखित में प्रार्थना पत्र पेश कर माल के घोषित माल से भिन्न एवं वनज में अधिक होने तथा करापवंचन की मंशा स्वीकार करते हुए वाद का निष्पादन प्रशमन रीति से करने का निवेदन किया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा दी गई अपराध स्वीकारोक्ती रिपोर्ट कर निर्धारण पत्रावली के पृष्ठ संख्या 18 पर मौजूद है।

6. उपरोक्त तथ्यों के विवेचन से यह स्पष्ट है कि व्यवसायी को उचित सुनवाई का अवसर देने के बाद प्रकरण का निस्तारण करके वैट एवं प्रशमन राशि का आरोपण किया गया। इस संबंध में **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की एस.बी. सिविल (एस.टी.) रिविजन पिटीशन संख्या 102/2008 मैसर्स राजेन्द्र इलेक्ट्रीकल्स बनाम एसीटीओ निर्णय दिनांक 12.08.2009** के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि व्यवसायी द्वारा करवंचना का अपराध स्वीकार करने के बाद अन्य कोई अग्रिम जांच करने की आवश्यकता नहीं है और व्यवसायी की लिखित स्वीकारोक्ती के बाद आरोपित शास्ति विधिसम्मत है।

7. इसी प्रकार **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने (1989) 5 RTJS60 एसीटीओ बनाम मैसर्स राजा ग्लास हाउस** के प्रकरण में भी यह अभिनिर्धारित किया है कि व्यवसायी के अपराध स्वीकारोक्ती के बाद कर निर्धारण अधिकारी को और कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं होती है। उपरोक्त उद्धरित दोनो न्यायिक निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा अपील आधार में लिखा गया कि अपीलार्थी को नोटिस प्राप्त

निरन्तर.....3

नहीं हुआ और न ही प्रकरण का नोटिस अपीलार्थी फर्म को तामिल हुआ, यह अपीलार्थी की पश्चात्वर्ती सोच (After thought) का स्पष्ट प्रमाण है। प्रश्मन हेतु प्रार्थना पत्र देने के बाद अपील करना सारहीन होने के कारण अस्वीकार करने योग्य है।

8. परिणामस्वरूप अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.08.2015 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से यथावत् रखा जाता है तथा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य